बिहार विधान-सभा सचिवालय

बिहार विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986

बिहार विधान-सभा के अध्यक्ष, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमों को बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम—यह नियम बिहार विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986 के नाम से जाना जायगा।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "सामाचार" से बिहार विधान-सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ख) "दसवीं अनुसूची" से अभिप्रेत है भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची ;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) "सदन" से अभिप्रेत है बिहार विधान-सभा ;

(ङ) "विधायक दल के नेता" से अभिप्रेत है किसी विधायक दल का ऐसा सदस्य जिसे उस दल ने अपना नेता चुना हो और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी आता है जो नेता की अनुपस्थिति में नेता के रूप में कार्य करने, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ;

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार विधान-सभा का सदस्य ;

(छ) "सचिव" से अभिप्रेत है बिहार विधान-सभा का सचिव तथा ऐसा पदाधिकारी जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कर्त्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा हो ,

(ज) जो परिभाषाएं इस नियमावली में न हों वे जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों; बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 में दी गयी परिभाषाएं मान्य होंगी।

3. विधायक दल के नेता द्वारा जानकारी दिया जाना—(1) प्रत्येक विधायक दल का नेता (ऐसे विधायक दल से भिन्न जिसमें एक विधायक हो) विधान-सभा की प्रथम बैठक की प्रथम तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा जहां संबंधित दल का गठन उक्त तिथि के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्न-लिखित रूप में सूचना देगा :—

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायक दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगें जैसे कि प्ररूप 1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पद नाम होंगें जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिये प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) और

(ग) जहां ऐसे विधायक दल के कोई पृथक नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधायक दल के केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिनों के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप-नियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा।

(3) जब कभी किसी विधायक दल के नेता द्वारा उप-नियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप-नियम (2) के अन्तगत दी गई सूचना में

कोई परिवर्त्तन होता है तो वह उसके पश्चात् 30 दिनों के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्त्तन की लिखित सूचना देगा ।

(4) ऐसे किसी विधायक दल की संख्या में जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर उप-नियम (1) के उपबंध ऐसे विधायक दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधायक दल उस तारीख से बनाया गया है, जिस तारीख को उसकी संख्या में वृद्धि हुई ।

(5) इन नियमों के प्रवर्त्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह इन नियमों के आरम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधायक दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधायक दल का, यथास्थिति, नेता या एक मात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिनों की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र और किसी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिनों के भीतर प्ररूप 2 के अनुसार अध्यक्ष को यह समुचित करेगा कि ऐसा मतदान करने अथवा मतदान से विरत रहने के लिये ऐसे राजनीतिक दल या व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं ।

स्पष्टीकरण—किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना —(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरम्भ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिनों के भीतर अथवा ऐसा आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ देने या

प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व सचिव के पास यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र या उसे सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करायेगा और प्ररूप 3 में विशिष्टयों का एक विवरण और घोषणा सचिव को देगा ।

स्पष्टीकरण--इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाण-पत्र" लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण-पत्र है ।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप समाचार में प्रकाशित किया जायगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जायगा ।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर--(1) सचिव प्ररूप 4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी रजिस्टर में प्रथम पृष्ठ पर अभिलिखित की जायगी ।

6. निर्देश का आवेदन-पत्र द्वारा किया जाना --(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दिये गये आवेदन-पत्र द्वारा ही किया जायगा अन्यथा नहीं ।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई आवेदन-पत्र सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दिया जा सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में प्रत्येक आवेदन-पत्र सचिव को संबोधित किया जायगा ।

(3) सचिव--

(क) उप-नियम (2) के परन्तुक के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उसके बारे में सदन को एक प्रतिवेदन देगा, और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किये जाने के पश्चात् आवेदन-पत्र को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(4) किसी सदस्य के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र देने से पूर्व आवेदक अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नांकित रूप में होंगे :—

(क) आवेदन-पत्र में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, और

(ख) आवेदन-पत्र के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर आवेदक निर्भर करता है और जहां आवेदक किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गयी किसी जानकारी पर निर्भर करता है वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक आवेदन-पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायगा।

(7) आवेदन-पत्र के प्रत्येक उपबंध पर भी आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और उनका सत्यापन आवेदन-पत्र के सत्यापन की रीति से ही किया जायगा।

7. प्रक्रिया।—(1) नियम 6 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेगा कि क्या आवेदन-पत्र उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(2) यदि आवेदन-पत्र नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है तो अध्यक्ष आवेदन-पत्र को रद्द करेगा और आवेदक को तदनुसार संसूचित करेगा।

(3) यदि आवेदन-पत्र नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तो अध्यक्ष आवेदन-पत्र और उसके उपबंधों की प्रतियां—

(क) उस सदस्य को भेजवायेगा, जिसके संबंध में आवेदन-पत्र दिया गया है, और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधायक दल का है और आवेदन-पत्र उस दल के नेता ने नहीं दिया है वहां ऐसे नेता को भी भेजवायेगा और ऐसा सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणी अध्यक्ष को भेजेगा।

(4) आवेदन-पत्र के संबंध में, अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलतः या उक्त उप-नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर उप-नियम 3 के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात अध्यक्ष प्रश्न का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(5) अध्यक्ष ऐसे आवेदन-पत्र के संबंध में सदन में घोषणा करेगा और यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो समाचार में प्रकाशित करायेगा।

(6) अध्यक्ष यथाशीघ्र प्रश्न का अवधारण सम्पूर्ण कार्यवाही का पालन करते हुए करेगा।

(7) अध्यक्ष उप-नियम 4 के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिये सर्वप्रथम प्रश्न का निरीक्षण करेगा और मामले के समस्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करेगा कि उससे निरर्हता का विषय बनता है अथवा नहीं।

अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर, कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेगा जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(8) उप-नियम 1 से 7 तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दिए गए आवेदन-पत्र के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन-पत्र के बारे में लागू होते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप-नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अन्तगत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जायगा।

8. आवेदन-पत्र पर विनिश्चय।—(1) आवेदन-पत्र पर विचार पूरा होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा—

(क) आवेदन-पत्र को अस्वीकृत करेगा, या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिसके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया गया है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है और उस आदेश की प्रतियां आवेदक को उस सदस्य को, जिसके संबंध में आवेदन-पत्र दिया गया है, और संबंधित विधायक दल के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेषित करवायगा।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को यदि वह सत्र में है, तुरंत प्रतिवेदन किया जायगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरत पश्चात प्रतिवेदन किया जायेगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय समाचार में प्रकाशित किया जायेगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा तथा सचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निर्देश।—अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे।

प्ररूप 1

[देखिए नियम 3(1)(क)]

विधायक दल का नाम तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम

क्रम सं०।	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)।	पिता/पति का नाम।	स्थायी पता	किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं।
1	2	3	4	5

तारीख

विधायक दल के नेता का हस्ताक्षर।

प्ररूप 2

[देखिए नियम 3(6)]

सेवा में

अध्यक्ष,

बिहार विधान-सभा ।

महोदय,

सदन के ————————————दिनांक को हुई बैठक में————————————————————————विषय पर हुए मतदान में श्री————————————————————————सभा सदस्य ने मैंने/मैं अर्थात्————————————जिनकी (विभाजन संख्या)————————————(सदस्य का नाम), सभा सदस्य हैं और जो ————————————(राजनीतिक) (विभाजन संख्या————————————दल का नाम) के सदस्य, तथा जो————————————(राजनीतिक दल)————————————(विधायक दल का नाम का सदस्य और————————————नाम) के हैं————————————(विधायक दल का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य————————————(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध उक्त व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा हूं

2. ————————————(दिनांक) को पूर्वोक्त मामले पर ————————————(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त मतदान करने/मतदान करने से विरत रहने को उसके द्वारा माफ किया गया/माफ नहीं किया गया।

तारीख

भवदीय,

हस्ताक्षर ।

अनुपयुक्त शब्दों/अंश को काट दें ।
(यहां पर यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, दल का नाम लिखें जिसने निदेश जारी किया है।)

प्ररूप 3

(देखिए नियम 4)

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. पिता/पति का नाम—

3. स्थायी पता—

4. पटना का पता—

5. निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तिथि—

6. जिस दल से संबद्ध है/हैं—

1. निर्वाचन/नाम-निर्देशन के दिनांक को

2. बिहार विधान-सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की तिथि का

3. इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख

घोषणा

मैं ..... यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गयी जानकारी में कोई परिवर्त्तन होने पर मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।

तारीख

सदस्य का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप 4

[देखिए नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम ।	स्थायी पता	पटना का पता ।	निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तारीख ।	जिससे वह संबद्ध है उस राजनीतिक दल का नाम ।	जिससे वह संबद्ध है उस विधायक दल का नाम ।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के
आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव, बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०)—286—मोनो—1,000—बी० बी० लाल